मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मांग संख्या 46

प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		3728.75	5.85	3734.60	3250.00	7.89	3257.89	4000.00	8.70	4008.70
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**3728.75**	**5.85**	**3734.60**	**3250.00**	**7.89**	**3257.89**	**4000.00**	**8.70**	**4008.70**
1. सचिवालय -सामाजिक सेवाएं	2251	...	...	...	...	...	...	...	...	...
सामान्य शिक्षा										
प्राथमिक शिक्षा										
2. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड	2202	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40
	2251	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
	3601	396.60	...	396.60	436.60	...	436.60	516.80	...	516.80
	3602	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	0.80	...	0.80
	जोड़	*400.00*	*...*	*400.00*	*440.00*	*...*	*440.00*	*520.00*	*...*	*520.00*
3. अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम	2202	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
	2251	0.53	...	0.53	0.53	...	0.53	0.50	...	0.50
	3601	186.00	...	186.00	165.75	...	165.75	186.50	...	186.50
	3602	8.00	...	8.00	6.50	...	6.50	8.00	...	8.00
	जोड़	*219.53*	*...*	*219.53*	*197.78*	*...*	*197.78*	*220.00*	*...*	*220.00*
4. अनौपचारिक शिक्षा/शिक्षा गारंटी स्कीम और वैकल्पिक प्रवर्तन शिक्षा	2202	45.00	...	45.00	36.00	...	36.00	364.00	...	364.00
	2251	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
	3601	245.00	...	245.00	130.00	...	130.00	30.00	...	30.00
	जोड़	*300.00*	*...*	*300.00*	*171.00*	*...*	*171.00*	*399.00*	*...*	*399.00*
5. राजस्थान में शिक्षाकर्मी परियोजना	2202	26.12	...	26.12	26.12	...	26.12	30.00	...	30.00
6. महिला समास्था	2202	9.90	...	9.90	8.90	...	8.90	10.90	...	10.90
	2251	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
	जोड़	*10.00*	*...*	*10.00*	*9.00*	*...*	*9.00*	*11.00*	*...*	*11.00*
7. राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली	2202	6.00	2.00	8.00	6.00	2.00	8.00	4.00	2.00	6.00
8. लोक जुंबिश	2202	56.10	...	56.10	56.10	...	56.10	59.00	...	59.00
9. जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना (ईएपी)	2202	967.00	...	967.00	818.00	...	818.00	1098.00	...	1098.00
	2251	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
	जोड़	*969.00*	*...*	*969.00*	*820.00*	*...*	*820.00*	*1100.00*	*...*	*1100.00*
10. पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में शिक्षा विकास	2552	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
11. प्राथमिक शिक्षा (एमडीएम) को पोषाहार समर्थन	2202	1090.00	...	1090.00	1300.00	...	1300.00	930.00	...	930.00
12. सर्व शिक्षा अभियान	2202	325.00	...	325.00	20.00	...	20.00	5.50	...	5.50
	2251	...	...	...	...	...	...	6.56	...	6.56
	3601	25.00	...	25.00	80.00	...	80.00	482.94	...	482.94
	3602	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
	जोड़	*350.00*	*...*	*350.00*	*100.00*	*...*	*100.00*	*500.00*	*...*	*500.00*
13. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद	2202	7.00	...	7.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00
14. राष्ट्रीय महिला शिक्षा कार्यक्रम	2202	160.00	...	160.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
15. प्राथमिक शिक्षा के लिए भारत सरकार-यू.एन. संयुक्त कार्यक्रम	2202	15.00	...	15.00	8.00	...	8.00	10.00	...	10.00
जोड़ प्रांरभिक शिक्षा		**3608.75**	**2.00**	**3610.75**	**3150.00**	**2.00**	**3152.00**	**3800.00**	**2.00**	**3802.00**
प्रौढ़ शिक्षा										
16. स्वयंसेवी संगठन	2202	14.00	...	14.00	10.00	...	10.00	15.00	...	15.00
17. नवसाक्षरों के लिए सतत शिक्षा	2202	53.00	...	53.00	49.10	...	49.10	107.00	...	107.00
	3601	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	1.50	...	1.50
	जोड़	*55.00*	*...*	*55.00*	*50.10*	*...*	*50.10*	*108.50*	*...*	*108.50*
18. प्रशासनिक ढ़ांचे को सुदृढ़ बनाना	2202	0.10	...	0.10	...	...	...	...	...	...
19. निरक्षरता उन्मूलन के लिए विशेष परियोजना	2202	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	27.00	...	27.00
20. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	2202	20.00	1.79	21.79	12.87	1.74	14.61	19.00	1.94	20.94
21. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण	2202	0.40	0.16	0.56	0.40	...	0.40	0.80	0.16	0.96
	2251	2.60	...	2.60	0.60	0.16	0.76	1.20	...	1.20
	जोड़	*3.00*	*0.16*	*3.16*	*1.00*	*0.16*	*1.16*	*2.00*	*0.16*	*2.16*

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2000-2001 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
22. श्रमिक विद्यापीठ	2202	16.00	1.36	17.36	13.00	3.45	16.45	25.00	4.00	29.00
	3601	1.00	0.25	1.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25
	जोड़	*17.00*	*1.61*	*18.61*	*13.00*	*3.70*	*16.70*	*25.00*	*4.25*	*29.25*
23. राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान	2202	0.86	...	0.86	0.86	...	0.86	1.22	...	1.22
24. प्रौढ़ शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा	2202	...	...	...	2.13	...	2.13	2.24	...	2.24
25. अन्य कार्यक्रम	2202	0.04	0.29	0.33	0.04	0.29	0.33	0.04	0.35	0.39
जोड़-प्रौढ़ शिक्षा		**120.00**	**3.85**	**123.85**	**100.00**	**5.89**	**105.89**	**200.00**	**6.70**	**206.70**
कुल जोड़		***3728.75***	***5.85***	***3734.60***	***3250.00***	***7.89***	***3257.89***	***4000.00***	***8.70***	***4008.70***
ग. आयोजना परिव्यय*-	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
केन्द्रीय योजना										
1. सामान्य शिक्षा	22202	3728.75	...	3728.75	3250.00	...	3250.00	3999.00	...	3999.00
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
जोड़-केन्द्रीय योजना		**3728.75**	**...**	**3728.75**	**3250.00**	**...**	**3250.00**	**4000.00**	**...**	**4000.00**

1. **सचिवालय-सामाजिक सेवाएं** : इसमें प्रावधान मांग सं. 51 में किया गया है।

2. **ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड** : आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987-88 में देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में चरण बद्ध तरीके से आवश्यक सुविधाएं अर्थात् 2 अध्यापक और अध्यापन शिक्षण उपस्कर (टी.एल.ई.), उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। उन प्राथमिक स्कूलों में जहां संस्था 100 से अधिक है तीसरा अध्यापक/तीसरा कमरा उपलब्ध कराने तथा 1993-94 से उच्च प्राथमिक स्कूलों को शामिल करके योजना का विस्तार किया गया है। योजना में, उस योजना अवधि जिसके दौरान नियुक्तियां की गई थीं अध्यापन शिक्षण उपस्कर तथा अध्यापकों के वेतनों के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। स्कूल भवनों का निर्माण मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का उत्तरदायित्व है, तथापि आपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम के तहत, ग्रामीण विकास मंत्रालय सहभागिता आधार पर प्राथमिक विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए निधियां रिलीज करता है।

वर्ष 1987-88 से वर्ष 1999-2000 की अवधि के दौरान, सभी लक्षित प्राथमिक विद्यालयों (5,22,902) और उच्च प्राथमिक विद्यालयों (1,27,257) को अध्यापन शिक्षण उपस्कर स्वीकृत किए गए हैं। 83,045 प्राथमिक विद्यालयों को तीसरा अध्यापक तथा 1,49,146 उच्च प्राथमिक स्कूलों को अतिरिक्त अध्यापक स्वीकृत किया गया है। 2000–2001 के दौरान प्राथमिक विद्यालयों में तीसरे अध्यापक के 20,000 पद तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अतिरिक्त अध्यापकों के 10,000 पद स्वीकृत करने का प्रस्ताव है।

3. **अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम** : जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) तथा कार्रवाई कार्यक्रम (पीओए)-1986 में परिकल्पित था, अध्यापक शिक्षा की पुनर्संरचना और पुनर्गठन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1987 में शुरू की गई थी जो व्यवहार्य संस्थागत आधारिक संरचना, आधारोन्मुख प्रशिक्षण तथा तकनीकी संसाधन प्रशिक्षण तथा जानकारी का निरन्तर उन्नयन, देश में प्राथमिक स्कूल अध्यापकों का क्षमता तथा शैक्षणिक कौशल का सृजन करेगी। योजना के पांच संघटक हैं-

(i) सभी जिलों में जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थाओं (डीआईईटी) की स्थापना करना;

(ii) अध्यापक शिक्षा के कालेजों (सीटीई) को सुदृढ़ करना और उनमें से कुछ का शिक्षा में अग्रवर्त्ती अध्ययन संस्थाओं (आई ए एसई) के रूप में विकास करना;

(iii) राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी) को सुदृढ़ करना;

(iv) स्कूल अध्यापकों के लिए विशेषोन्मुख कार्यक्रम तथा अध्यापक प्रशिक्षण में दूरवर्ती प्रणाली शुरू करना; और

(v) विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग की स्थापना करना तथा इसे सुदृढ़ करना।

4. **अनौपचारिक शिक्षा** : 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वर्ग के उन बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सर्वभौमीकरण के उद्देश्य के प्राप्त करने और संवैधानिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए चलाया जा रहा है जो विभिन्न कारणवश औपचारिक व्यवस्था से बाहर रह जाते हैं। इसमें मुख्य बल तथा अधिकतम कवरेज शैक्षणिक रूप से पिछड़े राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल को दी गई है। इसके अतिरिक्त, इसमें शहरी गन्दी बस्तियों, पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय और मरूभूमि के क्षेत्रों को भी शामिल किए जाने के साथ ही अन्य राज्यों में कार्यरत बच्चों की शिक्षा के लिए परियोजनाएं भी शामिल हैं। वर्तमान समय में, यह कार्यक्रम 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित किया जा रहा है।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम राज्य सरकारों सहित स्वैच्छिक गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता सह-शिक्षा केन्द्रों के लिए 40:60 के अनुपात में और विशेष रूप से कन्या केन्द्रों के लिए 10:90 के अनुपात में भागीदारी के आधार पर प्रदान की जा रही है। परिचालित अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों और अनुभवजन्य तथा प्रवर्त्तनकारी परियोजनाओं के संचालन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को और जिला संसाधन एकक को केन्द्रीय सहायता 100% आधार पर प्रदान की जा रही है।

अनौपचारिक शिक्षा योजना में संशोधन करके उसे ""शिक्षा गारण्टी योजना और वैकल्पिक एवं प्रवर्त्तक शिक्षा"" का नाम दिया गया है। संशोधित योजना को ईजीसी चालू वर्ष 2000-01 के दौरान संचालित किया जाएगा। संशोधित प्रदेश अधिक नमनीय है और इसमें ईजीसी (म.प्र.सरकार के) किस्म की मध्यस्थता है और वर्द्धित लागत प्रचालक हैं। तथापि, संशोधित योजना के पूर्ण रूप में अप्रैल, 2001 से लागू होने की आशा है। संशोधित योजना राज्य स्तर की समितियों के माध्यम से प्रशासित की जाएगी। इन समितियों को, सम्बद्ध प्रतिष्ठानों को संवितरण करने के लिए अनुदान की पूरी राशि निर्मुक्त की जाएगी। केवल राज्य क्षेत्रक के अधीन सह-शिक्षा और छात्राओं के लिए केन्द्रीय सहायता की पद्धति 75:25 की दर पर एक समान होगी। परन्तु, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को वही अर्थात् 100 प्रतिशत सहायता दी जाती रहेगी।

5. **शिक्षा कर्मी परियोजना** : इस परियोजना का उद्देश्य बालिकाओं पर प्रारम्भिक ध्यान देते हुए राजस्थान के दूरस्थ सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े गांवों में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण और गुणवत्ता सुधार करना है। परियोजना का कार्यान्वयन 1987 से स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास कारपोरेशन एजेन्सी (सिडा) की सहायता से किया गया है। परियोजना का चरण-I 30-06-1994 तक था।

सिडा और राजस्थान सरकार (जीओआर) ने क्रमशः 90:10 के अनुपात में परियोजना लागत में हिस्सेदारी की। सिडा और राजस्थान सरकार के बीच लागत हिस्सेदारी को शिक्षा कर्मी परियोजना के चरण-II के दौरान 50:50 में संशोधित किया गया था। भारत सरकार (जीओआई) अपने केन्द्रीय आयोजना बजट में सिडा के हिस्से के संबंध में प्रावधान कर रही है, जिसकी प्रतिपूर्ति पूर्ण रूप से सिडा द्वारा की जानी थी।

यू.के. का अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) सिडा की वर्तमान पद्धति के अनुसार राजस्थान सरकार तथा डीएफआईडी के बीच 50:50 के लागत हिस्सेदारी अनुपात पर परियोजना के चरण-III (1999-2003) को सहायता देने के लिए सहमत हो गया है। शिक्षा कर्मी परियोजना के चरण-III (1999-2003) को जारी रखने के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

6. **महिला समाख्या कार्यक्रम** : महिला समाख्या कार्यक्रम (महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा) शत-प्रतिशत डच सहायता प्राप्त परियोजना है, जो 1989 में शुरू की गई थी। यह कार्यक्रम इस समय डच निधिपोषण के अन्तर्गत उत्तर-प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश के 24 जिलों के 4032 गांवों में कार्यान्वित किया गया है। हाल ही में कार्यक्रम को केरल राज्य तक भी बढ़ाया गया है। शिक्षा के लिए महिला को समर्थ बनाने में महिला समाख्या नीति की प्रभाविता के परिणामस्वरूप इसे अन्य बेसिक शिक्षा परियोजनाओं द्वारा अपनाया जा रहा है। बिहार के 11 जिलों और मध्य प्रदेश तथा आसाम, प्रत्येक में 5-5 जिलों में कार्यक्रम को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) द्वारा सहायता दी गई है। इस समय यह कार्यक्रम 51 जिलों में फैले हुए कुल 7335 गांवों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

महिला समाख्या ग्रास-रूट स्तर पर महिलाओं के सामर्थ्य को मजबूती प्रदान करने में समर्थ रहा है। महिला समाख्या कार्यक्रम से ग्रामीण महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। इस कार्यक्रम ने देवदासियों, योगिनी व्यवस्था आदि को रोकने तथा इनके पुनर्वास जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में, महिला समाख्या अनौपचारिक शिक्षा केन्दों, प्रारम्भिक बाल्यावस्था, काम करने वाली ग्रामीण महिलाओं के लिए स्कूल पूर्व-सह-शिशु सदन सुविधाओं, संघनित गुणवत्ता शिक्षा तथा कौशल विकास प्रदान करने के लिए किशोर बालिकाओं और अशिक्षित महिलाओं के लिए महिला शिक्षण केन्द्रों को कार्यान्वित कर रहा है। कार्यक्रम निम्नलिखित मुद्दों पर भी ध्यान दे रहा हैः-

- पीने का पानी,
- स्वास्थ्य,
- महिलाओं के विरुद्ध दंगों जैसे सामाजिक मुद्दे,
- न्यूनतम मजदूरी आदि का भुगतान
- कानूनी साक्षरता

सरकार ने 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 35.00 करोड़ रुपए के परिव्यय के कार्यक्रम को जारी रखने की स्वीकृति दे दी है।

7. **राष्ट्रीय बाल भवन, नई दल्ली** : भूतपूर्व बाल भवन सोसायटी, इंडिया, राष्ट्रीय बाल भवन सोसायटी की स्थापना पं0 जवाहर लाल नेहरू की पहल पर एक पंजीकृत समिति के रूप में भारत सरकार द्वारा 1955 में की गयी थी । यह इस विभाग द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित स्वायत्त संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन और शारीरिक कार्यों के जरिए बच्चों के चहुँमुखी विकास के अवसर प्रदान करना, सभी वर्गों और समुदायों के बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का संवर्धन करना, उनमें ऐसी भावना जागृत करना ताकि वे वैज्ञानिक सूझबूझ से आधुनिक भारतीय व्यक्तित्व का विकास कर सके और इसे आंदोलन के रूप में बढ़ावा दे सके।

8. **लोक जुम्बिश** : लोगों की एक जुटता और उनकी भागीदारी के जरिए वर्ष 2000 तक सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए राजस्थान में स्वीडिश इंटरनेशनल डवलपमेंट अथोरिटी (एसआईडीए) के सहयोग से एक प्रवर्तक परियोजना ""लोक जुम्बिश"" शुरू की गई थी।

परियोजना का पहला चरण जून 1992 से जून 1994 के दौरान एसआईडीए, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच 3:2:1 के अनुपात में वहन की गई 18 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर कार्यान्वित किया गया था।

दूसरे चरण की अवधि को जुलाई, 1995 से बढ़ाकर जून, 1999 कर दिया गया था तथा इसे पुनः दिसम्बर, 1999 तक बढ़ाया गया था।

प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न संघटक जैसे अध्यापक के प्रशिक्षण, शिक्षा के न्यूनतम स्तर, नए स्कूलों को स्थोलने, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों आदि में परियोजना सम्बन्धी हस्तक्षेप किए गए।

एलजेपी में अभी तक 75 ब्लाक शामिल किए गए हैं। एलजेपी में 8675 गांवों में पर्यावरण सृजन सम्बन्धी गतिविधियां शूरू की गई है तथा 6954 गांवों में विद्यालय में मानचित्रण सम्बन्धी गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं। 529 नए विद्यालय स्थोले गए हैं जब कि 268 प्राथमिक विद्यालयों का उन्नयन किया गया है। 5010 सहज शिक्षा केन्द्र खोले गए हैं। लोक जुम्बिश की अन्य प्रमुख उपलब्धियों में से कुछ विकेन्द्रीकरण के नियमों को निगमित करने वाला नवीन प्रबंध ढांचा और प्राधिकरण का प्रत्यायोजन तथा स्थानीय समुदायों तथा स्वंय सेवी क्षेत्र के साथ सहभागिता का निर्माण करना व स्कूल का नक्शा बनाने की प्रक्रिया तथा समुदाय केन्द्रित विद्यालय भवन निर्माण कार्यक्रम के लिए नवीन डिजाइन का विकास करना है।

9. **जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम** : कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षा विकास के विशुद्ध दृष्टिकोण को ग्रहण किया गया है और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए कार्य़नीति के परिचालन का प्रयास किया गया है। कार्यक्रम में आयोजना के लिए प्रतिभागिता प्रक्रिया पर अत्यधिक बल दिया गया है तथा प्रबन्धन पर स्पष्ट रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है और विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में सुधारों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है जिसका उद्देश्य क्षमता तथा अवरोधन में सुधार करना, शिक्षा से वंचित रहने वालों में कमी करना तथा ज्ञान क्षमता को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण करना भी है तथा ऐसी कार्य प्रणालियों को विकसित करना भी है जो लागू करने तथा जारी रखने योग्य हैं। कार्यक्रम में इस समय 15 राज्यों, अर्थात्, असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, और बिहार के 219 जिले शामिल हैं। राजस्थान के 9 जिलों, उड़ीसा के 8 जिलों और गुजरात के 6 जिलों में कार्यक्रम का आगे के लिए विस्तार प्रगति में है। कार्यक्रम का पहला चरण जो 7 राज्यों के 42 जिलों में नवम्बर, 1994 में आरम्भ किया गया था, की सितम्बर-अक्तूबर, 1997 के दौरान गहन समीक्षा की गई थी । 1 दिसम्बर, 1999 को सम्पन्न दसवें संयुक्त पुनरीक्षण मिशन ने चरण-II विस्तार जिलों और डीपीईपी-II राज्यों का दूसरा गहन पुनरीक्षण भी किया है। कार्यक्रम की समीक्षा तथा विभिन्न अध्ययन मूल्यांकनों से पता चलता है कि कार्यक्रम के परिणामस्वरूप नामांकन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, ज्ञान क्षमता में सुधार हुआ, पुनरावृत्ति दरों/शिक्षा से वंचित रहने वालों में कमी हुई, जिसमें वृद्धिकारी समुदाय शामिल है, कक्षा प्रक्रियाओं आदि में सुधार हुआ।

10. **पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम का शैक्षणिक विकास**-इसमें पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के शेक्षणिक विकास के लिए प्रावधान किया गया है।

11. **प्राथमिक शिक्षा हेतु पौषणिक सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनएसपीईपी)** : 15 अगस्त, 1995 से देश में पहली बार प्राथमिक शिक्षा हेतु पौषणिक सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था, इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को बढ़ावा देना तथा साथ ही प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के पोषाहार पर बल देना है।

कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य पंचायतों और नगरपालिकाओं जैसे निकायों/प्राधिकरणों, जिनसे इस उद्देश्य के लिए सांस्थानिक व्यवस्थाओं का विकास करने की आशा की गई है, के माध्यम से 100 ग्राम गेहूं या चावल के बराबर कैलोरीयुक्त पौष्टिक भोजन/तैयार भोजन का प्रावधान करना है। अन्तरिम अवधि में, प्राथमिक कक्षाओं में, बच्चों जिनकी पिछले माह में न्यूनतम हाजिरी 80 प्रतिशत हो, के लिए 3 कि. ग्राम प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से खाद्यान्न (गेहूं/चावल) का वितरण किया जाए।

1995-96, 1997-98 से शुरू करके कार्यक्रम का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया गया है।

इस कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार हैः-

(i) कार्यान्वयन एजेन्सियों को निशुल्क लागत पर खाद्यान्न प्रावधान जिसकी आर्थिक लागत की प्रतिपूर्ति भारतीय खाद्य निगम को की जाती है।

(ii) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्कूलों/गावों को खाद्यान्न की ढुलाई वाली एजेन्सियों को परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति

देश के सभी सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकार से सहायता-प्राप्त विद्यालयों को प्राथमिक कक्षाओं (पहली से पांचवीं) में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों को 2000-2001 के दौरान भी शामिल किया जाता रहेगा जिसके लिए खाद्यानों का आवंटन राज्य से प्राप्त नामांकन के आंकड़ों के आधार पर तथा वित्तीय वर्ष की

अन्तिम तारीख को सूचित अप्रयुक्त मात्रा को समायोजित करते हुए इस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जिन्होंने अभी तक नामांकन आंकड़े और/अथवा उनके पास उपलब्ध अप्रयुक्त मात्रा को प्रस्तुत नहीं की है, विगत वर्ष के लिए किए गए आवंटन के आधार पर खाद्यानों को उठाने की अनुमति दी गई है।

12. **सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)** : यह होलिस्टक एवं अभिसारी प्रस्ताव सहित मिशन प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। राज्यों से परामर्श तथा भागीदारी करके इस नए ढांचे के तहत केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित श्रेणी में प्राथमिक शिक्षा के सभी वर्तमान कार्यक्रमों को निगमित करने का प्रयास है। सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

i) विद्यालय/ईजीएस के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे वर्ष 2003 तक पाठ्यक्रम पूरा कर लें।
ii) 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे वर्ष 2007 तक पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरा कर लें।
iii) 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे वर्ष 2010 तक आठ वर्ष की विद्यालयों शिक्षा पूरी कर लें।

यह दृष्टिकोण समुदाय को मान्य है और पंचायती राज संस्थाओं के परामर्श से तैयार की गई ग्राम शिक्षा योजनाएं जिला प्राथमिक शिक्षा योजनाओं का आधार बनेगीं। राज्यों को निधियों का प्रवाह राज्य स्तर पर पंजीकृत समितियों के माध्यम से किया जाएगा। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में महिलाओं के अल्प साक्षरता वाले जिलों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता। एसएसए पूरे देश पर लागू होगी जिसमें बालिका, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा दुष्कर परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की शैक्षणिक जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

13. **राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद :** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की स्थापना अगस्त, 1995 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। एन सी टी ई अधिनियम में अध्यापक शिक्षा व्यवस्था के योजनागत और समन्वित विकास और देश में अध्यापक शिक्षा में मानदण्डों और मानकों के विनियमन व उचित अनुरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने का उपबन्ध है। एन सी टी ई द्वारा पूरी तरह से केन्द्रीय सरकार वित्तपोषित है।

14. **राष्ट्रीय महिला शिक्षा कार्यक्रम :** "शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की बड़ी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय नीति" के निर्माण की प्रक्रिया इस समय पूरी होने की अग्रिम अवस्था में है। इस नीति के माध्यम से, लड़कियों की शिक्षा के संवर्धन के लिए उनकी अवधारणाओं हेतु पहुंच तथा अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए शैक्षणिक सुविधाओं का विकास करना है तथा लड़कियों की शिक्षा की प्रांसगिकता और गुणवत्ता पर भी जोर देना है। उनके शैक्षिक स्तर का ऐसा संवर्धन उनकी सामर्थ्यता को बढ़ाएगा।

15. **प्राथमिक शिक्षा के लिए भारत सरकार-यू.एन संयुक्त कार्यक्रम:** प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में सामुदायिक आधारित प्राथमिक शिक्षा के लिए भारत सरकार - यू एन संयुक्त कार्यक्रम विदेशी सहायता प्राप्त कार्यक्रम के रूप में प्रस्तावित है।

16. **प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठन** : प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में स्वयंसेवी एजेन्सियों (वीए) को सहायता देने की केन्द्रीय योजना जो अब "प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लिए सहायता स्कीम" है के नाम से प्रचलित है, 1987-88 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत प्रचालन में आई। इस योजना के तहत गैर-सरकारी संगठनों को पूर्ण साक्षरता अभियान (टीएलसी)/साक्षरता पश्च अभियान (पीएलसी) की स्थापना करने और इनको चलाने के लिए 15-35 के प्रौढ़ निरक्षर समूह को साक्षरता प्रदान करने, किताबों और पत्रिकाओं के प्रकाशन, शैक्षिक और तकनीकी संसाधन समर्थन, कार्य-शालाओं, सेमिनारों और सम्मेलनों आदि के प्रावधान के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

संशोधित योजना के तहत, स्वयंसेवी संगठनों को इस व्यवस्था के शत-प्रतिशत आधार पर वित्तपोषित किया जाता है कि क्षेत्र परियोजनाओं में, प्रशासनिक लागत परियोजना की कुल लागत के केवल 9 प्रतिशत तक सीमित होगी। राज्य संसाधन केन्द्रों का निधि स्तर बढ़ाया गया था और 9वीं योजना की अवधि में राज्य संसाधन केन्द्रों को ''क'' और ''ख'' दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था। गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) अब सतत शिक्षा कार्यक्रम में संलग्न है।

17. **नवसाक्षरों के लिए सतत शिक्षा योजना** : योजना का उद्देश्य 1988 से नव-शिक्षित व्यक्तियों की साक्षरोत्तर शैक्षणिक और सतत शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए जन शिक्षण निलायम के जरिए पर्याप्त आधारभूत संस्थागत सुविधाएं प्रदान करना है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 और 1992 के कार्यवाई दिशा-निर्देशों के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साक्षरोत्तर और निरंतर शिक्षा योजना का स्थान लेने के लिए नव-साक्षरों के लिए निरंतर-शिक्षा की एक नई योजना विनिर्मित की गई है:-

- साक्षरता निपुणता के अवरोधन के लिए और नए सीखने वालों को आधारभूत साक्षरता के बाद उनकी जानकारी को जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए शिक्षा जारी रखने की सुविधा का प्रावधान।
- जीने की स्थितियों के सुधार के लिए कार्यात्मक साक्षरता को लागू करने के लिए अवसर का सृजन करना।
- विकास कार्यक्रमों पर जानकारी का प्रचार तथा समाज के पारम्परिक रूप से वंचित वर्गों की भागीदारिता को विस्तृत करना तथा उसमें सुधार करना।
- व्यावसायिक प्रवीणता के विकास के लिए अल्पावधि पाठ्यक्रमों को आयोजित करके आर्थिक स्थितियों में सुधार करना।
- पुस्तकालय और वाचनालयों के लिए सुविधाओं का प्रावधान
- राष्ट्रीय हितों के प्रति जानकारी का सृजन।

नव-शिक्षितों के लिए 1996-97 से निरंतर शिक्षा की नई योजना प्रक्रिया में है। यह योजना 14 राज्यों और दो संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 85 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। निरंतर शिक्षा कार्यक्रमों के तहत शामिल जिलों ने पूर्ण साक्षरता और साक्षरता-उत्तर आन्दोलन दोनों को पूरा कर लिया है।

18. **निरक्षरता उन्मूलन के लिए विशेष परियोजना** : इस योजना के अन्तर्गत पूर्ण साक्षरता के बाद अभियानों के कार्यान्वयन के लिए चुने हुए जिलों की जिला साक्षरता समितियों की परियोजनाओं की स्वीकृतियों के लिए व्यवस्था की गई है ।

19. **प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय** : प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (डीएई) प्रौढ़ शिक्षा और पूर्ण साक्षरता अभियान के क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। निदेशालय की स्थापना देश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित करने वाले विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरणों को शैक्षिक और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में की गई थी।

20-24. **अन्य कार्यक्रम** : इनमें राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, जनशिक्षा संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा, के क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम शामिल हैं।